सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन प्रणाली 2023/2025
सेकेंडरी एक स्वैच्छिक स्थानों के लिए आवेदन पर माता-पिता के लिए नोट्स

प्राथमिक 6 छात्रों के माता-पिता जो सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन (SSPA) प्रणाली 2023/2025 के माध्यम से सेकेंडरी 1 (S1) स्वैच्छिक स्थान (DP) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे इस दस्तावेज़ (माता-पिता के लिए नोट्स) को ध्यान से पढ़ें और इसका सेकेंडरी एक स्वैच्छिक स्थान के लिए आवेदन पत्र (आवेदन पत्र) और उसके ध्यान देने योग्य बिंदुओं के लिए संदर्भ लें।

2. शिक्षा ब्यूरो (EDB) ने S1 प्रवेश के डिजिटलीकरण को लागू किया है। EDB माता-पिता को संपूर्ण S1 आवेदन प्रक्रिया के दौरान अधिक सुविधाजनक और तेज़ सेवाओं के लिए जल्द से जल्द "iAM Smart+" के साथ पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। माता-पिता "iAM Smart+" पंजीकरण के विवरण के लिए "iAM Smart" की विषयगत वेबसाइट पर जा सकते हैं या "iAM Smart" मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

"iAM Smart" की विषयगत वेबसाइट
(https://www.iamsmart.gov.hk/en/)
(चुनें: Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods)

3. SSPA e-Platform उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत और अपने खाते को "iAM Smart+" से जोड़ने वाले माता-पिता, कागजी आवेदन पत्र के अलावा, SSPA e-Platform के माध्यम से DP आवेदन जमा कर सकते हैं। माता-पिता नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपने बच्चे की छात्र संदर्भ संख्या के साथ-साथ प्राथमिक स्कूलों द्वारा वितरित एक्टीवेशन कोड के साथ एक SSPA e-Platform खाता पंजीकृत कर सकते हैं। SSPA e-Platform खाता बनाने और लॉगिन प्रक्रियाओं के लिए, कृपया EDB के होमपेज पर अपलोड किए गए संबंधित वीडियो और अभिभावकों की मार्गदर्शिका देखें (www.edb.gov.hk) (चुनें: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System > Digitalisation of S1 Admission > SSPA e-Platform Parent’s Guide).

SSPA e-Platform
(https://esspa.edb.gov.hk)

आवश्यकताएँ

4. इसकी परवाह किए बगैर कि आवेदन SSPA e-Platform द्वारा अथवा कागज़ी आवेदन फार्म में भरा जाए, प्रत्येक छात्र सेकेंडरी एक स्वैच्छिक स्थानों के आवेदन हेतु हैंडबुक (हैंडबुक) में सूचीबद्ध **<u>अधिकतम दो</u>** भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूलों में आवेदन कर सकता है, अन्यथा **<u>DP आवेदन को अवैध कर दिया जाएगा</u>।** कृपया ध्यान दें कि यदि अभिभावकों ने SSPA e-Platform द्वारा आवेदन पत्र जमा किया है तो उन्हें सेकेंडरी विद्यालय में डूप्लिकेट कागजी आवेदन जमा नहीं करना चाहिए और ऐसे ही इसके विपरीत भी। यदि अभिभावकों ने डूप्लिकेट आवेदन भरे हैं (यानी कि दोनों तरीके से SSPA e-Platform अथवा कागज़ी आवेदन पत्र द्वारा उसी सेकेंडरी स्कूल में एक ही आवेदन संख्या वाला आवेदन जमा करना), तो वह दोनों आवेदन एक ही मानें जाएँगे। अर्थात, डूप्लिकेट आवेदनों को जमा करना विद्यार्थी के स्कूल में आवंटित होने की सम्भावना को नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा अभिभावकों को SSPA e-Platform और कागज़ी रूप के माध्यम से एक ही आवेदन संख्या वाला आवेदन अलग अलग स्कूलों में जमा नहीं करना चाहिए। नहीं तो **<u>उनके बच्चे के DP आवेदन अवैध कर दिए जाएंगे</u>।**

5. यह पुस्तिका EDB द्वारा प्रकाशित की गई है और प्राथमिक विद्यालय के अभिभावकों को उस दिन दी जाएगी जिस दिन आवेदन पत्र और माता-पिता के लिए नोट्स वितरित किए जाते हैं। माता-पिता सूची को डाउनलोड करने के लिए EDB के होमपेज (www.edb.gov.hk) पर जा सकते हैं **(चुनें:** Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) या EDB की 24-घंटे के ऑटमैटिक टेलीफ़ोन पूछताछ प्रणाली पर फ़ैक्स से लिस्ट प्राप्त करने के लिए 2891 0088 पर कॉल करें **(**दबाएँ 2 (English) > 5 (Fax Services) > 04 (Secondary School Places Allocation System: School Lists))।

6. अधिकतम दो भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूलों में DP आवेदन करने के अलावा, छात्र S1 स्थान के लिए Jockey Club Ti-I College [1] और डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम (DSS) सेकेंडरी स्कूलों जो SSPA सिस्टम **(**NDSS secondary schools) [2] में भाग नहीं लेते हैं, में भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की अवधि

7. भाग लेने वाले सभी सेकेंडरी स्कूलों के लिए DP के आवेदनों अवधि एक ही होगी, जो **<u>2 जनवरी (गुरूवार) से शुरू होकर 16 जनवरी 2025 (गुरूवार) तक होगी, दोनों तिथियों को सम्मिलित कर के</u>।** अलग अलग स्कूलों के संचालन घंटों के विषय में पूछताछ स्कूलों से सीधें सम्पर्क करके प्राप्त की जानी चाहिए।

[1] Jockey Club Ti-I College में S1 दाख़िले के लिए आवेदन अवधि 2 जनवरी (गुरूवार) से 20 जनवरी 2025 (सोमवार) है। यदि विद्यार्थियों का Jockey Club Ti-I College में आवेदन सफल हो जाता है तो उन्हें DP आवंटित नहीं किया जाएगा या फिर SSPA प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय आवंटन (CA) में स्थान नहीं दिया जाएगा। यदि उनका आवेदन असफल रहता है तो वह SSPA प्रणाली से एक S1 स्थान के लिए जा सकते हैं।

[2] NDSS secondary schools के आवेदन का अपना कार्यक्रम होता है। अधिक जानकारी के लिए कृप्या संबंधित स्कूल से सीधे सम्पर्क करें। जैसे कि एक विद्यार्थी द्वारा NDSS secondary schools में आवेदन की कोई सीमा नहीं है तो वह कई NDSS secondary schools द्वारा स्वीकृत हो सकता/सकती है। लेकिन, अगर अभिभावक हस्ताक्षरित माता-पिता के उपक्रम और Primary 6 Student Record Form की मूल प्रति प्रस्तावना देने वाले स्कूल को सौंप देता है, तो यह NDSS secondary school द्वारा प्रस्तावित S1 स्थान की स्वीकृति की पुष्टि के रूप में काम करेगा और SSPA प्रणाली द्वारा आवंटित की जाने वाले अन्य कोई भी सब्सिडी वाले S1 स्थानों को छोड़ दिया गया माना जाएगा (जिसमें भाग लेने वाले स्कूल व Jockey Club Ti-I College की S1 स्थान शामिल हैं)। स्कूल अभिभावक के फ़ैसले से EDB को अप्रैल 2025 के आखीर तक अवगत कराएगा। NDSS secondary schools द्वारा भाग लेने वाले सफल विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करने के बाद EDB सूची में उपस्थित विद्यार्थियों को SSPA प्रणाली द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में आवंटित नहीं करेगा। जहां तक in SSPA 2023/2025 में भाग ना लेने वाले DSS Secondary Schools की सूची का प्रश्न है, तो माता-पिता उनके प्रार्थमिक स्कूल तक जा सकते हैं। माता-पिता सूची को डाउनलोड करने के लिए EDB के होमपेज (www.edb.gov.hk) पर जा सकते हैं (चुनें: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) या EDB की 24 घंटे के ऑटमैटिक टेलीफ़ोन पूछताछ प्रणाली पर फ़ैक्स से लिस्ट प्राप्त करने के लिए 2891 0088 पर कॉल करें (दबाएँ 2 (English) > 5 (Fax Services) > 04 (Secondary School Places Allocation System: School Lists)

आवेदन की विधि

8. अभिभावक DP के लिए आवेदन करने या ना करने का चयन कर सकते हैं। जो अभिभावक SSPA e-Platform के पंजीकृत उपभोगता हैं व जिनका खाता "iAM Smart+" से जुड़ा हुआ है, वह कागजी आवेदन पत्र के अलावा DP आवेदन SSPA e-Platform द्वारा भी जमा कर सकते हैं

(a) SSPA e-Platform द्वारा आवेदन जमा करना

9. यदि अभिभावक SSPA e-Platform के माध्यम से DP आवेदन का चयन करते हैं तो उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए:

(i) SSPA e-Platform पर लॉगिन करें।[3] SSPA e-Platform पर खाता बनाने व लॉगिन प्रक्रिया के लिए कृपया दाहिनी ओर दिये गए QR कोड को स्कैन करके EDB के होम पेज पर (www.edb.gov.hk) जाएं (चुनें: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System > Digitalisation of S1 Admission> SSPA e-Platform Parent's Guide) और इससे सम्बंधित विडीओ व अपलोड की गई अभिभावकों की मार्गदर्शिका देखिए

(ii) DP के पेज पर जाने के लिए "Apply Now" को चुनें।

(iii) जिन सेकेंडरी स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं उनका स्कूल की तरजीह का क्रम चुनें (जैसे कि स्कूल की तरजीह का क्रम 1 या स्कूल की तरजीह का क्रम 2)।

(iv) "Name of secondary school applied to" चुनें/लिखें।

(v) स्कूल द्वारा आवश्यक संपर्क जानकारी भरें, जिसमें पत्राचार पता, संपर्क टेलीफोन नंबर और ईमेल पता शामिल है।

(vi) सेकेंडरी स्कूल के संदर्भ के लिए विद्यार्थी के पहचान दस्तावेज/दस्तावेज़ों[4] जैसे, हॉगकॉग पहचान पत्र, हॉगकॉग जन्म सर्टिफ़िकेट या कोई और पहचान दस्तावेज़) (अनिवार्य) को अपलोड करें

(vii) सेकेंडरी स्कूल द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को दस्तावेज़ श्रेणी के आधार पर संबंधित फ़ोल्डरों में अपलोड करें (उदाहरण के लिए, पूर्ण स्कूल-आधारित आवेदन पत्र, रिपोर्ट कार्ड की प्रतियां और प्रमाणपत्रों और पुरस्कारों के रिकॉर्ड)।

(viii) सुनिश्चित करें कि "Name of Secondary School Applied to", स्कूलों की तरजीह का क्रम और अपलोड किए गए दस्तावेज़ सही हैं।

(ix) "Points to Note on Application for Secondary One Discretionary Places" के साथ ही EDB और आवेदन किए जा रहे सेकेंडरी स्कूल के प्रासंगिक "Personal Information Collection Statement" की समझ को स्वीकार करें।

(x) "iAM Smart+" के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करके पुष्टि करें।

(xi) "iAM Smart+" के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के बाद, आवेदन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए "Confirm and Submit" और फिर "Yes" पर क्लिक करें।

(xii) जांचें कि क्या चुने गए स्कूल के तरजीही क्रम के आवेदन की स्थिति को "Submitted" में बदल दिया गया है और SSPA e-Platform द्वारा जारी पावती ईमेल प्राप्त हो गई है।

(xiii) अन्य स्कूल के तरजीही क्रम के लिए आवेदन जमा करने के लिए उपरोक्त चरण (iii) से (xii) को दोहराएं।

---

[3] SSPA e-Platform पर दिखाई गई जानकारी और आपके बच्चे के पहचान दस्तावेज़ पर दिखाई गई जानकारी के बीच विसंगतियों के मामले में, कृपया सुधार के लिए उपस्थित प्राथमिक विद्यालय को तुरंत सूचित करें।

[4] प्रत्येक के लिए स्कूल तरजीही क्रम 1 और स्कूल तरजीही क्रम 2 की फाईलों का अधिकतम आकार कुल मिलाकर 12.5MB है। सिस्टम PDF प्रारूप और सामान्य चित्र फ़ाइल प्रारूपों (GIF, BMP, PNG और JPEG) का समर्थन करता है।

10. बड़ी संख्या में आवेदनों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए, **<u>SSPA e-Platform पर प्रत्येक</u>** लॉगिन **<u>सत्र 30 मिनट तक सीमित है</u>**। कृपया आवेदन प्रक्रियाएं 30 मिनट के भीतर पूरी करें। यदि आवश्यक हो, तो माता-पिता "Save as Draft" फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं और नए लॉगिन सत्र में ड्राफ्ट प्राप्त करके आवेदन जमा करना जारी रख सकते हैं।

माता-पिता को ध्यान देना चाहिए कि इस बात की परवाह किए बिना कि आवेदन SSPA e-Platform के माध्यम से व कागजी आवेदन पत्र के रूप में जमा किए गए हों, एक बार जमा किए गए आवेदनों को पुनः प्राप्त या रद्द नहीं किया जा सकता है, और स्कूल की तरजीह के क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(b) कागजी आवेदन पत्र के रूप में आवेदन पत्र जमा करना:

11. आवेदन पत्र को विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के उपयोग के लिए बनाया गया है जो सरकारी, सहायता प्राप्त, और कैपुट सेकेंडरी स्कूलों तथा SSPA प्रणाली में भाग ले रहे DSS सेकेंडरी स्कूलों (अर्थात् वे स्कूल जो Handbook में सूचीबद्ध हैं) के लिए DP आवेदन करने की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक भाग लेने वाले प्राथमिक 6 छात्र को अपने प्राथमिक स्कूल के माध्यम से दो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं।

12. प्रत्येक आवेदन पत्र चार भागों में विभाजित होती है: EDB की प्रति (नीले रंग में), स्कूल की प्रति (हरे रंग में), अभिभावकों की प्रति (लाल रंग में), और स्कूल की तरजीह का क्रम (स्कूलों की तरजीह का क्रम 1 का अर्थ है पहली प्राथमिकता और स्कूलों की तरजीह का क्रम 2 का अर्थ है दूसरी प्राथमिकता) (लाल रंग में)। विद्यार्थी की जानकारी आवेदन पत्र में पहले से मुद्रित होती है। उदाहरण के रूप में, अभिभावक प्रति में पहले से मुद्रित जानकारी में शामिल है:

- आवंटन चक्र
- विद्यार्थी संदर्भ संख्या
- आवेदन संख्या
- विद्यार्थी का नाम
- लिंग
- जन्मतिथि
- प्राथमिक विद्यालय जिस में भाग ले रहे हों

13. आवेदन पत्र व Primary 6 Student Record Form[5], एकत्रित करने के तुरंत बाद अभिभावकों को यह जाँच लेना चाहिए कि दी गई पूर्व मुद्रित जानकारी उनके बच्चे के प्रमाण दस्तावेज़ों में दी गई निजी जानकारी से मेल खाती है:

- विद्यार्थी का नाम
- लिंग
- जन्मतिथि

विसंगति की अवस्था में, अभिभावकों को तुरंत ही बच्चे के प्राथमिक विद्यालय को सूचित करना चाहिए। किए गए संशोधन में प्राथमिक विद्यालय की मुहर होनी चाहिए। आवेदन पत्र पर पहले से मुद्रित जानकारी अभिभावकों को स्वयं संशोधित नहीं करनी चाहिए, और जिन सेकेंडरी विद्यालयों को आवेदन किया जा रहा है, वे भी आवेदन पत्र प्राप्त करते समय पहले से मुद्रित जानकारी को संशोधित नहीं करेंगे।

---

[5] Primary 6 Student Record Form का उपयोग Jockey Club Ti-I College और NDSS secondary schools में S1 प्रवेश के लिए आवेदनों में एक पहचान दस्तावेज के रूप में किया जाता है।

14. यदि अभिभावक कागजी आवेदन पत्र रूप में DP आवेदन का चयन करते हैं तो उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए:

(i) तरजीह के आधार पर आवेदन पत्र के सभी चार भागों में दिए गए स्थानों पर आवेदन करने के लिए सेकेंडरी स्कूल का नाम भरें।

(ii) प्रतिधारण और रिकॉर्ड के लिए स्कूल की तरजीह के क्रम वाले हिस्से को अलग करें (छात्रों को उन स्कूलों के लिए अपनी प्राथमिकता के क्रम का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, जिन पर वे आवेदन करते हैं)। अन्य तीन भागों को यथावत रखा जाना चाहिए।

(iii) EDB की कॉपी, स्कूल की कॉपी और माता-पिता की कॉपी, जिस पर एक ही आवेदन संख्या हो (तीनों भागों को बरकरार रखते हुए) सीधे सेकेंडरी स्कूल में जमा करें, साथ ही सेकेंडरी स्कूल द्वारा आवश्यक संबंधित दस्तावेजों (उदाहरण के लिए, विधिवत) के साथ पूर्ण स्कूल-आधारित आवेदन पत्र)।

(iv) जांच के लिए छात्र के पहचान दस्तावेज की मूल प्रति सेकेंडरी स्कूल में प्रस्तुत करें।

(v) अंत में, सेकेंडरी स्कूल से माता-पिता की प्रतिलिपि प्राप्त करें जिसमें रिकार्ड व प्रतिधारण के लिए स्कूल की स्टैंप, स्कूल का नाम और स्कूल कोड लिखा हो।

माता-पिता को ध्यान देना चाहिए कि एक बार जमा किए गए आवेदनों को वापस नहीं लिया जा सकता है या रद्द नहीं किया जा सकता है और स्कूल की तरजीह के क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

15. यदि विद्यार्थी **<u>केवल एक सेकेंडरी स्कूल को आवेदन करता है</u>**, तो स्कूल की तरजीह के क्रम 1 का आवेदन पत्र उपयोग किया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी अपने दोनों आवेदन पत्रों को एक ही स्कूल को जमा करता है, तो EDB केवल स्कूल की तरजीह के क्रम 1 के आवेदन को संसाधित करेगी और स्कूल की तरजीह के क्रम 2 को अमान्य कर दिया जाएगा। कोई भी अप्रयुक्त आवेदन पत्र हस्तांतरणीय नहीं है। आवेदन की अवधि के बाद अभिभावक स्वयं आवेदन पत्रों को रख सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं।

16. निम्नलिखित परिस्थितियों में, सेकेंडरी स्कूल द्वारा आवेदन पत्रों को संसाधित नहीं किया जाएगा:

- समयावधि के समापन के बाद डाक द्वारा भेजे गए अथवा जमा किए गए आवेदन पत्र
- आवंटन चक्र, विद्यार्थी संदर्भ संख्या और आवेदन संख्या में संशोधन किए गए आवेदन पत्र
- प्राथमिक विद्यालय की मुहर के बिना विद्यार्थी के नाम, लिंग, और जन्मतिथि में संशोधन किए गए आवेदन पत्र
- डुप्लिकेट, क्षतिग्रस्त या अपूर्ण आवेदन पत्र

स्कूल स्थानों का आवंटन

17. भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूल अपने शैक्षिक दर्शन व परंपरा के अनुसार स्वयं प्रवेश मानदंड तैयार कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि वे अपने प्रवेश मानदंडों और तुलना और साथ ही आवेदन के लिए अपनी DP संख्या को सार्वजनिक करें, और इसे स्कूल में एक प्रमुख स्थान में प्रदर्शित करें या DP आवेदन अवधि से पहले लिखित रूप में प्रत्येक छात्र आवेदक को उपलब्ध कराएँ। एक स्कूल में आवेदन करने से पहले अभिभावकों को उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, जैसे उसका शैक्षिक दर्शन, परंपरा, धर्म, प्रवेश मानदंड व वेटेज, कक्षा की संरचना, विकास व संचालन, और उनके बच्चों के विशेषताएँ, व्यक्तित्व, योग्यताएँ और रुचियाँ, ताकि उपयुक्त स्कूल का चुनाव किया जा सके। स्कूल साक्षात्कार कर सकते हैं लेकिन किसी भी रूप में लिखित परीक्षा आयोजित नहीं कराई जानी चाहिए।

18. DP आवेदनों को संसाधित करने के बाद, सभी भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूल (Jockey Club Ti-I College सहित) को, सफल बच्चों के आवेदक माता पिता को **<u>31 मार्च 2025</u>**[6] को उनके बच्चे को स्वैच्छिक स्थानों की सफल सूचियों में शामिल करने के बारे में पत्र और फ़ोन द्वारा सूचित करना आवश्यक है। स्कूलों द्वारा अभिभावकों को अधिसूचना व्यवस्था से अच्छी तरह अवगत कराना और पहले से अभिभावकों से आवश्यक सम्पर्क जानकारी एकत्रित करनी अनिवार्य है। यह अधिसूचना व्यवस्था आरक्षित व असफल आवेदकों पर लागू नहीं होती है, **<u>ना ही ये आवंटन के परिणाम हैं</u>**। सम्बंधित अभिभावकों को उन सूचनाओं का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है कि वह पेशकश को स्वीकार करते हैं या नहीं।

19. यदि भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूल से सूचना पाने वाले अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए किसी NDSS सैकंडरी स्कूल में भी आवेदन भरा है और वह अपने आवेदन में सफल है, तो उन्हें NDSS सैकंडरी स्कूल द्वारा दिया गया यह स्थान रखना या नहीं का फ़ैसला **<u>8 अप्रैल 2025 को या उससे पहले</u>** लेना चाहिए। यदि अभिभावक NDSS सैकंडरी स्कूल द्वारा प्रस्तावित स्थान रखने का फैसला करते हैं तो उन्हें भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूल की अधिसूचना को अनदेखा कर देना चाहिए। यदि वह NDSS सैकंडरी स्कूल द्वारा दिये गए प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला लेते हैं तो उन्हें NDSS सैकंडरी स्कूल को सूचित कर के हस्ताक्षरित माता-पिता के उपक्रम व Primary 6 Student Record Form की मूल प्रति **<u>8 अप्रैल 2025 को या उससे पहले</u>** पुनः प्राप्त करना चाहिए ताकि वह उनके द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त करी गई DP को रख सकें। सम्बंधित दस्तावेजों को वापिस ले लेना इसकी पुष्टि के रूप में काम करेगा कि अभिभावक ने NDSS सैकंडरी स्कूल द्वारा प्रस्तावित S1 स्कूल का स्थान त्याग दिया है।

20. भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूलों द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक स्थानों के लिए सफल सूचियों के आधार पर, EDB प्रत्येक भाग लेने वाले प्राथमिक विद्यालय को अप्रैल 2025 की शुरुआत में सफल DP आवेदकों के रूप में अधिसूचित छात्रों की संबंधित सूची प्रदान करेगा (जो संबंधित सेकेंडरी स्कूलों के नाम नहीं दिखाएगा और यदि छात्रों को एक या दो सेकेंडरी स्कूलों द्वारा सफल आवेदकों के रूप में चुना गया है)।

21. पैराग्राफ 18 से 20 में व्यवस्थाएं प्रशासनिक उपाय हैं और मौजूदा SSPA तंत्र अपरिवर्तित रहता है। प्रत्येक आवेदन में छात्र की स्कूल तरजीह के क्रम की पहचान करने के लिए एक अद्वितीय संख्या होती है। EDB स्वैच्छिक स्थानों के लिए स्कूलों की सफल/आरक्षित सूचियों के मुकाबले छात्रों की प्राथमिकताओं का मिलान करेगा। यदि कोई छात्र दोनों स्कूलों में आवेदन करने में सफल होता है, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, और उसने किसी भी NDSS secondary school से स्कूल का स्थान स्वीकार नहीं किया है, तो उसे स्कूल तरजीह के क्रम के अनुसार पहली पसंद वाले स्कूल का S1 स्थान आवंटित किया जाएगा।

22. जो छात्र DP आवेदन में सफल होंगे उन्हें दोबारा CA में स्कूल स्थान आवंटित नहीं किया जाएगा। जो लोग DP प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं उन्हें CA में जगह आवंटित की जाएगी। यदि माता-पिता ने किसी ऐसे सेकेंडरी स्कूल के लिए आवेदन किया है जो अंततः इस आवंटन चक्र में SSPA प्रणाली के तहत S1 स्थानों की पेशकश नहीं करता है, तो उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

---

[6] SSPA e-Platform उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत माता-पिता, उसी दिन सुबह 10 बजे से SSPA e-Platform के माध्यम से सफल DP आवेदकों के लिए अधिसूचनाएं भी देख सकते हैं।

23. जिन माता-पिता ने अपने बच्चों के लिए DP के लिए आवेदन नहीं किया है, या भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूलों से स्वैच्छिक स्थानों के लिए सफल सूची में अपने बच्चों को शामिल करने की अधिसूचना प्राप्त नहीं की है, उन्हें अपने प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से पूरा भरा हुआ सेकेंडरी वन च्वाइस ऑफ स्कूल फॉर्म (Choice Form) मई 2025 की शुरुआत में EDB को जमा करना चाहिए। यह ये सुनिश्चित करने के लिए है कि यदि छात्रों के DP आवेदन सफल नहीं हुए हैं, तब भी उन्हें CA के माध्यम से S1 स्थान आवंटित किए जाएंगे। जिन माता-पिता को **भाग लेने वाले सेकेंडरी स्कूलों द्वारा उनके बच्चों को स्वैच्छिक स्थानों के लिए सफल सूची में शामिल किए जाने की सूचना दी जाती है, उन्हें स्कूल का विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल संबंधित बक्से में सही का निशान लगाना होगा, स्कूल की पसंद के भागों को काटना होगा, संपर्क जानकारी भरने के बाद Choice Form पर हस्ताक्षर करना होगा, और Choice Form को उन स्कूलों में वापस जमा करना होगा जहां उनके बच्चे जाते हैं। DP और CA के नतीजे 8 जुलाई 2025[7] को एक साथ जारी किए जाएंगे।** अभिभावकों को परिणाम की घोषणा से पहले उन स्कूलों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है जिनमें वे आवेदन करते हैं।[8]

आवेदन पत्र के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन

24. क्षतिग्रस्त या खोए हुए आवेदन पत्र के प्रतिस्थापन को स्कूल सथान आवंटन (SPA) विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। प्रमाण दस्तावेज की मूल प्रति जिसमें आवेदक छात्र का विद्यार्थी संदर्भ संख्या मौजूद है प्रतिस्थापन के दौरान जाँच के लिए दिखाया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रतिस्थापन के लिए HK$125 का शुल्क लागू होगा। यदि प्रतिस्थापन करने के बाद क्षतिग्रस्त या खोया हुआ आवेदन पत्र मिल जाता है, तो अभिभावकों को प्रतिस्थापन प्रति का उपयोग करना चाहिए और जो वापिस मिला है उस को नष्ट कर देना चाहिए। अभिभावकों को एक से अधिक सेकेंडरी स्कूल के आवेदन के लिए एक ही स्कूल तरजीह क्रम वाले आवेदन पत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना उनके बच्चे के DP आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

पूछताछ

25. अधिक पूछताछ के लिए, माता-पिता उनके प्रार्थमिक स्कूल से सलाह ले सकते हैं या EDB के SPA सैक्शन (SSPA) से 2832 7740 या 2832 7700 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

स्कूल स्थान आवंटन सैक्शन
शिक्षा ब्यूरो
दिसम्बर 2024

---

[7] प्राथमिक स्कूलों के लिए आवंटन परिणाम एकत्र करने की तिथि 7 जुलाई 2025 है। यदि EDB उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी संकेत पूर्व-नंबर 8/नंबर 8 या उससे ऊपर जारी होने के कारण उस दिन सुबह स्कूलों को बंद करने की घोषणा करता है, तो आवंटन परिणामों को प्राप्त करने की तिथि को 8 जुलाई 2025 तक स्थगित कर दिया जाएगा। आवंटन परिणामों की घोषणा तदनुसार 8 जुलाई 2025 से 9 जुलाई 2025 तक स्थगित कर दी जाएगी। यदि आवंटन परिणामों की घोषणा के दिन सुबह (यानी 8 जुलाई 2025), EDB उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी सिग्नल प्री-नंबर 8/नंबर 8 या उससे ऊपर या लाल या ब्लैक रेनस्टॉर्म वार्निंग सिग्नल जारी करने, या सरकार "अति के हालातों" की घोषणा के कारण स्कूलों को बंद करने की घोषणा करता है, तो आवंटन परिणामों की घोषणा अगले स्कूल दिवस तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी।

[8] SSPA e-Platform उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत माता-पिता के लिए, वे उसी दिन सुबह 10 बजे से SSPA e-Platform के माध्यम से आवंटन परिणाम भी देख सकते हैं।